ज्ञापन संख्या – 04 / 2012

बिहार सरकार
समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला प्रोग्राम शाखा)

ऑगनबाड़ी सेविका / सहायिका का चयन कार्यक्रम :–

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्गत ऑगनबाड़ी सेविका / सहायिका के चयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका 2011 के आलोक में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना कार्यालय में सेविका / सहायिका के निम्नलिखित रिक्तियों के विरूद्ध नये सिरे से चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0	परियोजना का नाम	केन्द्र का नाम / कोड सं0	पंचायत / वार्ड नं0	रिक्त ऑगनबाडी केन्द्र		
				स्वीकृत पद		केन्द्र का प्रकार
				सेविका	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7
1	काको	अलगना / 71	दमुहा / 04	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
2		बीबीपुर / 152	खालीसपुर / 06	सेविका	–	मिनी
3		अमथुआ उ0 / 95	अमथुआ / 04	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
4		काको मुशहरी / 45	पश्चिमी काको / 08	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
5		बढ़ौना द0 / 143	बढ़ौना / 10	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
6		सलेमपुर चकिया / 07	बरावां / 03	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
7		काजीसराय अनु0 / 93	अमथुआ / 03	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
8		बारा निसरपुरा / 105	बढ़ौना / 13	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
9		नवादा / 122	पिंजौरा / 04	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
10	घोषी	गोड़सड / 19	अहियासा / 11	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
नोट :– क्रमांक 10 का विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है परन्तु इस वार्ड से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः विज्ञापन दिया जा रहा है।						
11	हुलासगंज	कोकरसा द0 / 22	कोकरसा / 11	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
12	जहानाबाद	धर्मपुर / 14	कल्पा / 06	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
13		मांदिल बी / 90	मांदिल / 10	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
14		भिठियां / 19	सिकरिया / 23	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
15		गोपालपुर / 125	लरसा / 01	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
16		पतड़िया / 41	सेवनन / 08	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत
17		कसई / 119	लरसा / 08	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
18		गांधी मैदान बी / 157	शहरी क्षेत्र / 30	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
19		दाउदपुर / 50	किनारी / 10	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
20		अंबेदकर नगर ए / 196	शहरी क्षेत्र / 25	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
21		उंटा स्कूल / 138	शहरी क्षेत्र / 06	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
नोट :– ऑगनबाड़ी केन्द्र पतड़िया, कसई एवं गांधी मैदान बी के लिए पूर्व में आवेदन लिया गया था परन्तु पोषक क्षेत्र से बाहर के आवेदन होने के कारण इस आवेदनों पर विचार नहीं किया गया। पुनः बहाली हेतु नये सिरे से आवेदन पत्रों की मांग की जाती है। क्रमांक 19 दाउदपुर में पूर्व की सहायिका को चयनमुक्ति पत्र निर्गत नहीं होने के कारण पूर्व के आवेदन को निरस्त करते हुए पुनः आवेदन पत्रों की मांग की जाती है।						
22	मखदुमपुर	जगदीशपुर / 29	कचनावां / 01	–	सहायिका	पूर्व से स्वीकृत
23		वगवार / 59	सुगांव / 03	सेविका	–	पूर्व से स्वीकृत

1. आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा करने का स्थान संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में अपराह्न 05:00 बजे तक होगा।
2. उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. रिक्त पद सेविका / सहायिका से संबंधित विस्तृत जानकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय / जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं जहानाबाद जिले के वेवसाईट www.jehanabad.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

4. बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा आवेदन नहीं लिये जाने संबंधी शिकायत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

5. ऑगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता :–

5.1 शैक्षणिक योग्यता :– सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो।

5.2 चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। बाहुल्य वर्गों से मेधा सूची के अनुसार चयन किया जायेगा।

5.3 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

5.4 सेविका पद की रिक्ति के विज्ञापन के प्रकाशन के वर्ष की प्रथम जनवरी को न्यून्तम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।

5.5 सेविका को संबंधित पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जायेगा।

5.6 ऑगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलबध न रहने की स्थिति में उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में, जहां निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

5.7 ऑगनबाड़ी सेविका उस गांव की बहु होनी चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गांव की बेटी स्थायी रूप से मां के यहां निवास करती है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हो) उपलब्ध है तो उनके चयन पर भी विचार किया जाएगा।

5.8 जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहु/रिश्तेदार इस पद के लिये अयोग्य होंगी। (रिश्तेदार से अर्थ है – पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहू)

5.9 संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदारों का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है – पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)

5.10 विभिन्न सरकारी समाग्रियों के विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की पत्नी/बहू/रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगें। (रिश्तेदार से अर्थ है – पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)

5.11 बिकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40% तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा ऑगनबाड़ी केन्द्र के कार्यो के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5.12 ऑगनबाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता के अलावे अन्य सभी योग्यतायें एवं शर्त्ते वही होगी जो ऑगनबाड़ी सेविका के लिए निर्धारित की गयी है, परन्तु ऑगनबाड़ी सहायिका का चयन अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों से ही की जा सकेगी। (सहायिका के मामले में बाहुल्य वर्ग को प्राथमिकता देने संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगें) ऑगनबाड़ी सहायिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम पास होगी यानि उसे पढ़ना–लिखना आना चाहिए। एक श्रेणी में एक से अधिक अभ्यर्थी होने पर सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु विधवा/परित्यक्ता एवं विकलांग उम्र में सबसे अधिक अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएं एक समान हो तब उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिक्ता देते हुए चयन किया जायेगा।

सेविका/सहायिका पदों के लिये अयोग्यताएं :–

i. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

ii. किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित अभ्यार्थी इस पत्र के लिए अयोग्य होंगी।

iii. सेविका एवं सहायिका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिश्तेदार नहीं होंगी, यथा सास–बहू/ननद–भाभी/देवरानी–जेठानी/मां–बेटी/बहन–बहन/बहन–भतीजी/सगी गोतनी आदि।

iv. विभिन्न अनुशासनिक/जांच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए आयोग्य होगी।

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10.01.2013 एवं मेधा सूची प्रकाशन की तिथि 18.01.2013 है। सभी आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा लिया जायेगा)

नोट :–

- किया गया चयन माननीय उच्च न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकार न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा।

20/04/...

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
जहानाबाद।